

खबर संक्षेप

बांस की खेती का प्रशिक्षण लेने
50 किसानों का दल रवाना



सलुंबर @ पदमावत मीडिया। जिले के विभिन्न विकासखंडों के 50 किसानों का दल बांस की वैज्ञानिक खेती के प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण के लिए रवाना हुआ। तीन से चार दिवसीय कार्यक्रम के दौरान किसान उदयपुर, कोटड़ा और सिरोही के स्वरूपगंज सहित विभिन्न स्थानों पर बांस उत्पादन एवं प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का अध्ययन करेंगे। उपनिदेशक उद्यान पुरुषोत्तम लाल भट्ट ने बताया कि प्रशिक्षण में किसानों को बांस की विभिन्न प्रजातियों, रोपण, रखरखाव, प्रसंस्करण, विपणन और मूल्य संवर्धन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सलुंबर के वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बांस की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त और स्थायी आय का अच्छा माध्यम बन सकती है। इच्छुक किसानों से बांस की खेती अपनाने तथा अधिक जानकारी के लिए उद्यान विभाग से संपर्क करने की अपील की गई।

वर्षों पुरानी समस्या का समाधान, पात्र परिवारों को मिले आबादी भूमि के पट्टे



संखुंबर @ पदमावत मीडिया। ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के तहत मंगलवार को ग्राम पंचायत पहाडी में आयोजित शिविर में वर्षों से लंबित आबादी भूमि के प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर भूमि परिवारों को आबादी भूमि के पट्टे वितरित किए गए। राजस्व विभाग ने दस्तावेजों के सत्यापन और जांच के बाद भगवान, धना, हुर्जी, कालू सहित अन्य पट्टे लाभार्थियों को पट्टे जारी किए। इससे लाभार्थियों को अपनी भूमि पर वैधानिक अधिकार मिलने के साथ आवास निर्माण एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ। लाभार्थियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि शिविर के माध्यम से उनकी वृद्ध पुरानी समस्या का त्वरित समाधान हुआ है।

ग्रामीण सेवा शिविर में 188
से अधिक दस्तावेज वितरित



संखुंबर @ पदभात मीडिया | ग्रामीण सेवा
शिविर-2026 के तहत मंगलवार को ग्राम
पंचायत उदपुरिया जागीर में आयोजित शिविर
में विभिन्न विभागों ने ग्रामीणों की समस्याओं
का मौके पर समाधान करते हुए 188 से
अधिक दस्तावेज वितरित किए। शिविर में 163
प्रॉपर्टी कार्ड, 4 पेंशन पीपीओ, 4 जन्म प्रमाण पत्र
तथा 17 जॉब कार्ड लाभार्थियों को सौंपे गए। साथ
ही विभिन्न राजस्व एवं जनकल्याण संबंधी
प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर पात्र लोगों को
सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
शिविर में भाजपा मंडल अध्यक्ष करण जोशी,
शिविर प्रभारी हजारीलाल मीणा, विकास
अधिकारी केदार नारायण चौधरी, तहसीलदार
रमेशचंद्र तेन्जे सहित विभिन्न अधिकारी एवं
ग्रामप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने एक ही
स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाएं मिलने पर
संतोष व्यक्त किया।

सेवा शिविरों से गांव-गांव पहुंच रही राहत, मौके पर हो रहा समस्याओं का समाधान

उदयपुर @ पद्मावत मीडिया | मुख्यमंत्री की पहल पर संचालित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत उदयपुर जिले में विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला कलेक्टर औरव अग्रवाल के निदेशन में मंगलवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में प्राप्ति के पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया तथा विभिन्न समस्याओं का मौके पर समाधान कराया। प्रशासन ने बताया कि बुधवार को डकन कोटड़ा, उमरड़ा, जिंक स्पेल्टर, साकरोदा, थूर, घासा, मांगलवा, सहित विभिन्न स्थानों पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रन्थचार और कदचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर सख्त संदेश देते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। देहेज उत्पीड़न मामले में दोषी पाए गए एक चिकित्सा अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि रिश्तवतखोरी, पद के दुरुपयोग और सेवा में अनियमितताओं से जुड़े मामलों में कई अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सख्त संदेश: पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं, लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में पशु स्वास्थ्य सेवाओं और पशु रोग नियंत्रण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पशु टीकाकरण से वंचित नहीं रहे तथा पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ एवं लक्ष्य कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पशुओं का स्वास्थ्य किसानों और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि से सीधे जुड़ा है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा फील्ड स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में समय पर उपस्थित नहीं होने वाले चिकित्सकों और कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अस्पतालों की दवाओं के दुरुपयोग या अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की नियमित निगरानी, दवा वितरण व्यवस्था तथा मंगला पशु बीमा योजना की जिला एवं

यूसीसी-2026 पर सलूंबर में दूसरे दिन भी मंथन, आमजन और प्रबुद्धजनों ने रखे सुझाव

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

सलूनवर। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी)-2026 के मसौदे पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को दूसरे दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा एवं जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न वर्गों के प्रबुद्धजनों ने संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किए। जनसुनवाई की अध्यक्षता राष्ट्रीय समिति के सदस्य एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबड़ा ने की। जिला मुख्यालय स्थित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. दिनेश राय सपरेला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं नागरिक

वर्चुअल
दौरान प्रि
2026 के
साझा वि
माध्यम से
जिन्हें प्रा
जाएगा।
जनसुनव
वर्गों और
नागरिक
व्यापक,
है, ताकि
कानून तै



भरूच/गुजरात । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भरूच जिले के पानोली पुलिस स्टेशन से जुड़े तीन पुलिसकर्मियों को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि प्रोहिबिशन एक्ट के एक मामले में जन्त मोबाइल लौटाने के बदले पुलिसकर्मियों ने 3 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी के अनुसार शिकायतकर्ता के विरुद्ध पानोली पुलिस थाने में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। कानूनी कार्रवाई के बाद जमानत पर रिहा होने पर जब शिकायतकर्ता अपना



राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 406 के तहत दोषसिद्ध चिकित्सा अधिकारी को सेवा से पदच्युत करने का निर्णय लिया है। वहीं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के

खंडवार प्रगति की सतत समीक्षा करने के निर्देश। उन्होंने कहा कि योजनाओं का केवल कागजी, बल्कि भौतिक सत्यापन भी कराया जाए, ताकि एक पात्र पशुपालक तक योजनाओं का लाभ वी ढंग से पहुंचे।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री (एड) हैं।
ला पशु बीमा योजना के तहत अब तक 23.25 कुमा हैं।
व पशुओं का बीमा किया जा चुका है तथा 11.16 काय हैं।
व से अधिक पशुपालकों को इसका लाभ मिला कार्य हैं।
वहीं प्रदेश में संचालित 536 मोबाइल पशु उपरि हैं।

व्यय से शामिल हुए। बैठक के निर्णयों ने समान नागरिक संहिता-विधिन प्रारवधानों पर अपने सुझावों। साथ ही निर्धारित प्रश्न के नखित सुझाव भी प्राप्त किए गए, समिति के समक्ष विचारार्थ भेजा अधिकांश निर्णयों ने बताया कि का उद्देश्य समाज के विभिन्न नामजनों की राय प्राप्त कर समान वृहता के प्रारूप को अधिक व्यापारिक एवं जनहितकारी बनाना नवभारतीयों के आधार पर प्रभावी किया जा सके।

तहत दो सेवारत अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इसके अलावा एक सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारी की 20 प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकने का आदेश भी जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रष्टाचार के एक मामले में आरोपियों की मदद करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में तत्कालीन वृत्ताधिकारी के खिलाफ प्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। वहीं भीलवाड़ा के तत्कालीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी राकेश खोईवाल के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू करने की मंजूरी भी दी गई है।

राजकीय भूमि के आवंटन में पद के दुरुपयोग के मामले में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के

खिलाफ भी अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा सीसीए नियम-34 के तहत समीक्षा के पांच मामलों में संबंधित अधिकारियों की याचिकाएं खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दंडादेश को यथावत रखा गया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि लोकसेवकों से ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही की सर्वोच्च अपेक्षा की जाती है। भ्रष्टाचार, कदाचार और अनुशासनहीनता के मामलों में किसी भी स्तर पर रियायत नहीं दी जाएगी तथा प्रत्येक मामले में नियमानुसार निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

बी मुख्यालय में ईमानदारी की मिसाल:
बल अमर सिंह ने लौटाए 10 हजार रुपये

अलवर में एएसआई 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

पद्मावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर/अलवर । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अलवर में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना अरावली विहार के सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) शंकर लाल शर्मा को 10 हजार रुपये की रिश्तत लेते हुए रंग हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मुकदमे से नाम निकालने, मारपीट नहीं करने और पुलिस कार्रवाई में मदद करने के नाम पर रिश्तत मांगने का आरोप है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके पुत्र के विरुद्ध दर्ज प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी एसआई शंकर लाल शर्मा

श्वेत लेते गुजरात पुलिस के तीन पुलिसकर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार



जब्त मोबाइल लेने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो सहायक हेड कांस्टेबल अनिरुद्धभाई वलकुभाई धाथल एवं सहायक हेड कांस्टेबल जयदीपसिंह सुखदेवसिंह परमार ने मोबाइल लौटाने के लिए 3 लाख रुपये की मांग की। शिकायतकर्ता द्वारा पूरी राशि एकमुश्त देने में असमर्थता जताने पर आरोपियों ने इसे एक-एक लाख रुपये की तीन किश्तों में लेने पर सहमति जताई।

रिश्वत नहीं देना चाहने पर शिकायतकर्ता ने एसीबी से संपर्क किया। शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। ट्रैप के दौरान आरोपियों के निर्देश पर लोक रक्षक पुलिस कास्टेबल

कराया गया, जिसमें आरोपी द्वारा रिश्वत मांगना सही पाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी ने 10 हजार रुपये लेने तथा शेष 10 हजार रुपये बाद में देने की मांग की।

इसके बाद उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरिचालन में एसीबी अलवर प्रथम के प्रभारी शम्बीर खान (उप अधीक्षक पुलिस) के नेतृत्व में दैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी एसएआई शंकर लाल शर्मा को सह-परिवर्द्धी 10 हजार रुपये की रिश्तव लेते हुए रंग हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

रुपये ले एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में पूछताछ और सत्यापन अग्रिम अनुसंधान जारी है।

सागरभाई करणभाई चावड़ा ने शिकायतकर्ता से पहली किश्त के रूप में 1 लाख रुपये स्वीकार किए। इसी दौरान एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर रिश्तव की पूरी राशि बरामद कर ली। यह कार्रवाई एसीबी मरुच के पुलिस निरीक्षक एम.जे. शिंदे के नेतृत्व में की गई। पूर्व अप्रेशन की निगरानी एसीबी वडोदरा इकाई के प्रभारी सहायक निदेशक ए.एस. प्रजापति तथा प्रभारी उपनिदेशक आर.आर. चौधरी ने की।

एसीबी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

खबर संक्षेप

सर्पदंश ने छीन ली राजेंद्र वैष्णव की जिंदगी, पसरा मातम

संवाददाता : ईश्वरलाल सुथार

सलुंबर @ पदमावत मीडिया। बाणा खुर्द निवासी राजेंद्र वैष्णव (39) पुत्र भंवरदास वैष्णव को खेत पर कृषि कार्य के दौरान सर्पदंश से मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम संस्कार के दिन गांव में ऐसा मातम पसरा कि कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले। जानकारी के अनुसार राजेंद्र वैष्णव रविवार को हमीरगढ़ स्थित अपने खेत पर कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन तत्काल उन्हें सराड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उदयपुर के एमवी चिकित्सालय रेफर कर दिया। एमवी चिकित्सालय में उपचार के दौरान 13 जुलाई को शाम उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर सराड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मंगलवार को पैतृक गांव बाणा खुर्द में नम आंखों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजेंद्र वैष्णव अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं। उनके असायिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं पूरे गांव में शोक और गम का माहौल बना हुआ है।

रामगंज थाना पुलिस और साइबर सेल की बड़ी कार्रवाई:

ऑनलाइन गेमिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

अजमेर @ पदमावत मीडिया। रामगंज थाना पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम



से लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पदाफर्श करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में प्रयुक्त एक लैपटॉप, छह मोबाइल फोन, तीन मोबाइल चार्जर और दो एक्सटेंशन बोर्ड बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ तथा पुलिस उप अधीक्षक मनीष बड़गुजर के सुपरविजन में रामगंज थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम लगातार साइबर अपराधियों पर निगरानी रख रही थी। 13 जुलाई की रात मुखबिर से सूचना मिली कि न्यू चंद्र नगर, विनायक पथ स्थित एक मकान में ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए अवैध सट्टा और लोगों के साथ साइबर ठगी की जा रही है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से रामकिशन उर्फ प्रकाश भोंकर (19) निवासी नागौर, कैलाश (22) निवासी नागौर तथा गोपाल डूकिया (18) निवासी नागौर को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी में प्रयुक्त डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। इस संबंध में रामगंज थाने में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रामकिशन उर्फ प्रकाश अपने सरगना से प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लैपटॉप और मोबाइल फोन का उपयोग कर अवैध ऑनलाइन गेमिंग साइट संचालित करता था। इसके जरिए लोगों को झूसे में लेकर उनके साथ साइबर ठगी की जाती थी। पुलिस अब गिरोह के सरगना और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

4 अगस्त को लगेगा युवा सबल मेला-2026

डूंगरपुर @ पदमावत मीडिया। कोशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के निर्देशानुसार 4 अगस्त को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में एक दिवसीय युवा सबल मेला-2026 आयोजित होगा। मेले में निजी क्षेत्र की कंपनियों का साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का प्राथमिक चयन करेंगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी और प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र पैर ने संबंधित अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल बनी जनकल्याण की नई मिसाल: एक माह में 7,701 शहरी सेवा शिविरों से लाखों परिवारों को राहत

मौके पर ही समस्याओं का समाधान, 91 हजार से अधिक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी, मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे निगरानी

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आमजन को सरकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं का लाभ घर के नजदीक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित शहरी सेवा शिविर जनकल्याण की नई मिसाल बनकर उभरे हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हुई है। मुख्यमंत्री स्वयं इन शिविरों की लगातार निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं।

राज्य सरकार के अनुसार 12 जून से 13



जुलाई के बीच प्रदेशभर में 7,701 शहरी सेवा शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान 38,494 पेट्टे, 12,163 नामांतरण तथा 6,811 भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई। वहीं 91,599 जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र तथा 5,644 इंडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी जारी किए गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समय-समय पर शिविरों का निरीक्षण कर लाभार्थियों से सीधे संवाद कर रहे हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक भी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे तथा शिविरों के माध्यम से लोगों

को त्वरित राहत उपलब्ध कराई जाए। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी शिविरों के माध्यम से व्यापक कार्य किए गए। इस अवधि में 25,448 कचरा संवेदनशील स्थलों का निस्तारण किया गया, 2,517 नए सीवर कनेक्शन स्वीकृत हुए, 19,978 नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं तथा 62,042 स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की गई। इसके अलावा 38,381 बिजली कनेक्शन जारी किए गए, पालनहार योजना के तहत 11,132 बच्चों का सत्यापन किया गया तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 17,354 आवेदन प्राप्त कर छोटे कारोबारियों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए।

नौका पर सवार होकर आएंगी माता दुर्गा

15 से 22 जुलाई तक, दशमहाविद्याओं के उपासना का महापर्व है गुप्त नवरात्र

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

संवाददाता : माणकमल भंडारी

भीनमाल। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा की आराधना की शुरूआत नवरात्रि के जिस वार से शुरू होती है, उसी के आधार पर माता के वाहन का निर्धारण होता है। बुधवार से शुरूआत होने पर माता नौका पर सवार होकर आती हैं। भागवत पुराण के मुताबिक यह वाहन अच्छी वर्षा, समृद्धि और कृषि में उन्नति का प्रतीक माना जाता है।

श्रीदर्शन पंचांग के प्रधान सम्पादक शास्त्री प्रवीण त्रिवेदी ने बताया कि 15 जुलाई बुधवार को घट स्थापना के साथ शुरू होने वाली नवरात्र 23 जुलाई शुक्रवार तक रहेगी। घट स्थापना 15 जुलाई को आर्द्र पुष्य नक्षत्र एवं हर्षण एवं वज्र योग में होगा। शास्त्रों में कलश को सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। बिना कलश स्थापना के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता है। कलश को पांच तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा, आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोये जाते हैं। कलश के मध्य में सभी मातृशक्तियां, समस्त सागर, सप्तद्वीपों सहित पृथ्वी, गायत्री, सावित्री, शांतिकारक तत्व, चारों वेद, सभी देव, आदित्य देव, विश्वदेव, सभी पितृदेव एकसाथ निवास करते हैं। कलश की पूजा मात्र से एक साथ सभी प्रसन्न होकर यज्ञ कर्म को सुचारुरूपेण संचालित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। त्रिवेदी ने बताया कि वर्ष में चार नवरात्र आती है। जिसमें यह गुप्त नवरात्र के नौ दिन तक मां के नव रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुम्भाण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं



सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। इन दिनों मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा भाव से व्रत, उपवास तथा शुद्ध उच्चारण वालें ब्राह्मण से मार्कण्डेयस्वर ऋषि द्वारा रचित सप्तशती के पाठ, हवन आदि करानें से अक्षुण्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। सप्तशती के प्रत्येक चरित्र में अलग-अलग सात महासतियों की शक्तियों को गुप्त रूप से बताया गया है। यथा लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुन्धती एवं सरस्वती। साथ ही काली, तारा, छिन्नमस्ता, मातंगी, भुवनेश्वरी, बाला एवं कुब्जिका। तथा नन्दा शताक्षी, शाकंभरी, भीमा, रक्त दंतिका, दुर्गा व भ्रामरी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा एक्शन: लापरवाही पर दो आरपीएस अधिकारी और एक जेल अधिकारी पर गिरी गाज

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान पुलिस सेवा के दो अधिकारियों तथा जेल सेवा की एक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर की उपाधीक्षक सरोज विश्‌नोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने तथा उनका मुख्यालय जयपुर से भरतपुर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उनके विरुद्ध प्राप्त



शिकायतों में एक महिला बंदी को अपने साथ रखने, कार्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप करने तथा कथित रूप से धन लेकर बंदियों को नियमों के विरुद्ध जयपुर से भरतपुर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उनके विरुद्ध प्राप्त

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जोधपुर पुलिस आयुक्तालय में पदस्थापित सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर क्राइम) देरावर सिंह के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, निर्वन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। आरोप है कि पुलिस निरीक्षक के पद पर रहते हुए उन्होंने हत्या जैसे गंभीर प्रकरण में अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती और जांच में केवल एक आरोपी को दोषी मानते हुए अन्य आरोपियों को बचाने का प्रयास किया।

मुख्यमंत्री ने एक अन्य आरपीएस अधिकारी लाभ्राम विश्‌नोई के विरुद्ध विभागीय जांच रिपोर्ट में आरोप

प्रमाणित पाए जाने पर आगे की कार्रवाई को भी स्वीकृति दी है। आरोप है कि उन्होंने बनस नदी में बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान अवैध खनन और परिवहन रोकने संबंधी निर्देशों की अवहेलना की, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई और पुलिस दल की सुरक्षा भी जोखिम में पड़ी। साथ ही संबंधित विभागों के साथ आवश्यक समन्वय नहीं किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और कार्यकुशलता को और अधिक मजबूत करना है, ताकि सरकारी तंत्र अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

मालवीय नगर जोन में शहरी सेवा शिविर, 225 प्रमाण पत्र जारी

जयपुर @ पदमावत मीडिया।

नगर निगम के शहरी सेवा शिविर-2026 के तहत मंगलवार को मालवीय नगर जोन कार्यालय, लालकोठी में शिविर आयोजित किया गया। शिविर का निरीक्षण जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा ने किया तथा लाभार्थियों को पेट्टे और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के चेक वितरित किए।

शिविर में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के 225 प्रमाण पत्र मौके पर जारी किए गए। नगरीय विकास कर के 30 तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 7 प्रकरणों का निस्तारण किया



गया। साथ ही मकान उपविभाजन और स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को तत्काल राहत प्रदान की गई।

नगर निगम ने बताया कि बुधवार को हवामहल-आमेर जोन के हैरिटेज भवन, पुराना पुलिस मुख्यालय, बड़ी चौपड़ में शहरी सेवा शिविर आयोजित किया जाएगा।

हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता पर एसीबी का शिकंजा

आय से अधिक 9.24 करोड़ रुपये की संपत्ति का मामला दर्ज

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

हैदराबाद। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) के मुख्य अभियंता बी. रविंदर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एसीबी ने मुख्य अभियंता के आवास, कार्यालय तथा रिश्तेदारों, सहयोगियों और बेनामी व्यक्तियों से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एसीबी के अनुसार तलाशी के दौरान अब तक लगभग 9 करोड़ 24 लाख 2 हजार 276 रुपये की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। इनमें 5 खुले भूखंड, 4 आवासीय फ्लैट, 4 एकड़ कृषि भूमि, एक



अर्धनिर्मित आलीशान विला तथा एक चार मंजिला भवन शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि इन संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य सरकारी मूल्यांकन से कहीं अधिक होने की संभावना है। तलाशी के दौरान 3.82 लाख रुपये नकद, 45.05 लाख रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि, करीब 1.44 किलोग्राम सोने के आभूषण, 12.5 किलोग्राम चांदी, 17.24 लाख रुपये मूल्य का फेरलू सामान, 9.32 लाख रुपये के

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा 1.16 करोड़ रुपये मूल्य के चार लक्जरी वाहन भी बरामद किए गए। जब्त वाहनों में इनोवा हार्डब्रैक्स, टाटा सफरी, इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा एक्सयूवी शामिल हैं। एसीबी ने बताया कि मुख्य अभियंता को न्यायिक रिमांड के लिए विशेष न्यायाधीश (एसपीई एवं एसीबी), हैदराबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। मामले में आरोपी की अन्य संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच जारी है।

खबर संक्षेप

डॉ. एल.एल. धाकड़ का नागरिक अभिनंदन, बोले-

प्रबुद्धजनों का स्नेह मेरा सबसे बड़ा सम्मान



उदयपुर @ पदमावत मीडिया। विज्ञान समिति कार्यकारिणी की ओर से आयोजित समारोह में साहित्य एवं समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. लक्ष्मी लाल धाकड़ का नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. कुंदन लाल कोठारी ने की। मीडिया प्रभारी प्रो. विमल शर्मा ने बताया कि डॉ. धाकड़ की कृषि विश्वविद्यालय, महावीर इंटरनेशनल, रोटरी इंटरनेशनल, विज्ञान समिति तथा अन्य संस्थाओं में दी गई सेवाओं और उनके वृहद ग्रंथ उदयपुर का वैभव की विशेष सराहना की गई। समारोह में कई साहित्यकारों और प्रबुद्धजनों ने गीत, कविता और संस्मरण प्रस्तुत किए। सम्मान के बाद डॉ. धाकड़ ने कहा कि जीवन में मिली हर सफलता का श्रेय सभी के स्नेह, सहयोग और विश्वास को जाता है। उन्होंने कहा कि इतने प्रबुद्धजनों से सम्मान पाकर वे स्वयं को अभिभूत और उनका ऋणी महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. के.पी. तलेसरा ने किया।

सीबीआई की बड़ी सफलता: पश्चिम बंगाल के चर्चित सुकांत घोष हत्याकांड का फरार आरोपी 10 साल बाद गिरफ्तार



नई दिल्ली/ कोलकाता @ पदमावत मीडिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल के चर्चित सुकांत घोष हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए घोषित भगोड़े (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) शिबू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई वर्षों से फरार चल रहा था और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अखिलेश कुमार शाही के नाम से छद्म पहचान बनाकर रह रहा था। सीबीआई के अनुसार आरोपी को 14 जुलाई 2026 को गोरखपुर के रायगंज रोड स्थित दक्षिण गांधी आश्रम इलाके में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी मानवीय खूफिया सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई। यह मामला कलकता उच्च न्यायालय के 27 अगस्त 2009 के आदेश पर सीबीआई को सौंपा गया था। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने 31 दिसंबर 2010 और 14 नवंबर 2011 को शिबू कुमार सिंह सहित चार आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। सीबीआई ने बताया कि लंबे समय तक फरार रहने के कारण 15 सितंबर 2016 को शिबू कुमार सिंह को न्यायालय द्वारा घोषित भगोड़ा घोषित किया गया था। गिरफ्तारी के बाद ट्रॉजिट वारंट प्राप्त कर आरोपी को कोलकाता ले जाया जाएगा, जहां उसे सक्षम न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाई जारी है।

मोबाइल कोर्ट की कार्यवाई: 35 वाहन चालकों पर कार्यवाई, 7 वाहन जब्त



सुनिश्चित कराने के लिए जयपुर मेट्रो-क्वक की मोबाइल कोर्ट ने दिल्ली रोड स्थित सड़वा मोड़ पर विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 35 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाई की गई। अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज नहीं होने पर 7 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 11 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जांच में एक थार जीप का बीमा समाप्त मिलने तथा एक मोटरसाइकिल का पंजीकरण समाप्त होने पर दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया। वहीं ओवरलोड बस संचालित करने पर चालक पर 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मोबाइल कोर्ट की कार्यवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं समिति अध्यक्ष संदेश नायक की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलक्टर संदेश नायक ने कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एवं रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना सुनिश्चित करना सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर उसका गंभीरता से क्रियान्वयन किया जाए तथा आमजन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।



जिला कलक्टर ने यादगार से सीतापुरा तक सुगम पथ बनाने हेतु दिनांक 20 मई 2026 को किए गए निरीक्षण में निर्धारित विभागों को दिए गए निर्देशों की पालना एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों कि समीक्षा भी की गई। जिला कलक्टर ने जयपुर शहर में संचालित व्यावसायिक भवनों विशेषकर

होटल, बार, कैफे, हॉस्टल इत्यादि की पार्किंग व्यवस्था के संबंध में जानकारी भवन के बाहर बोर्ड पर प्रदर्शित कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ऑवरलॉडेड, मॉडिफाइड (फूड वैन) इत्यादि पर आरटीओ द्वारा प्रवर्तन की की गई कार्यवाई के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नए ब्लेक स्पॉट्स का चिह्नीकरण करने के निर्देश भी संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। जिला कलक्टर ने जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों की करीब 35 प्रमुख सड़कों के सौन्दर्यीकरण, पैदल यात्रियों की सुविधा, सड़कों की मरम्मत, साइनेज के संबंध में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों एवं तकनीकी विषय विशेषज्ञों की सहमति से रोड़ सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट अतिशीघ्र बनवाकर देने के निर्देश जेडीए, नगर निगम, रीको, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को दिए हैं।

उन्होंने शहर में प्रवेश करने वाले दिल्ली रोड़, आगरा रोड़, अजमेर रोड़, सीकर रोड़ इत्यादि के प्रवेश द्वारों को सही करने, सड़कों की मरम्मत कर पेचवर्क कराने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। जिला कलक्टर ने शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश जेडीए, नगर निगम, पुलिस सहित अन्य विभागों को दिए हैं। उन्होंने नगर निगम को शहर में गंदगी फैलाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर दक्षिण युगांतर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रानू शर्मा, सहित यातायात, जेडीए, नगर निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

14 साल पुराने दुष्कर्म मामले में न्याय: पुलिस की सटीक जांच से दोषी को सजा, पीड़िता को 6 लाख रुपये मुआवजा

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

श्री विजयपुरम। दक्षिण अंडमान जिले के हटबे थाना पुलिस की प्रभावी और सटीक विवेचना के चलते वर्ष 2012 के दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपये मुआवजा देने के भी निर्देश दिए गए हैं। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश उमेश सिंह शर्मा ने 9 जुलाई 2026 को सुनाए गए फैसले में आरोपी परिशिष्ट सरकार को वर्ष 2012 में एक नाबालिग बालिका से



दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास

और 50 हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 506 के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाए। पुलिस के अनुसार यह मामला 4 नवंबर 2012 को हटबे थाना में दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर उसके सौतेले पिता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन उप निरीक्षक आदित्य नारायण ने मामले की जांच की। बाद में ट्रायल के दौरान विशेष लोक अभियोजक ए. एस. जिन्जू ने राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा

प्राधिकरण (टाउएअर) की वर्ष 2018 की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 6 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश भी दिए, ताकि उसके पुनर्वास, शिक्षा और भविष्य के कल्याण में सहायता मिल सके। दक्षिण अंडमान पुलिस ने कहा कि यह फैसला बच्चों के विरुद्ध गहन्य अपराधों में प्रभावी जांच, सशक्त अभियोजन और समयबद्ध न्याय का महत्वपूर्ण उदाहरण है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में दोषियों के खिलाफ आगे भी पूरी गंभीरता और कानूनी दृढ़ता के साथ कार्यवाई जारी रहेगी।

वल्लभनगर के मोड़ी में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला: घरेलू हिंसा रोकथाम, कानूनी अधिकार और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

वल्लभनगर। महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत रणथम्भौर सेवा संस्थान, नाथद्वारा द्वारा संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, पुलिस थाना वल्लभनगर की ओर से मंगलवार को ग्राम पंचायत मोड़ी में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत महिला जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में महिलाओं को घरेलू हिंसा की रोकथाम, महिला सुरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की विधिक परामर्शदाता केसी पटेल ने महिलाओं को बताया कि केंद्र घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद एवं महिला उत्पीड़न के मामलों में काउंसलिंग, कानूनी परामर्श तथा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराता है। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं की जानकारी देते हुए बताया कि यहां पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, चिकित्सकीय परामर्श एवं मनोसामाजिक सहयोग जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यशाला के दौरान महिलाओं को बाल विवाह, बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा एवं लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी



जागरूक किया गया। महिलाओं से समाज में बेटी और बेटे के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाने तथा किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न की स्थिति में तत्काल सहायता लेने का आह्वान किया गया। साथ ही 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन एवं 112 आपातकालीन सेवा की जानकारी भी दी गई। केसी पटेल ने महिलाओं को लाड़ों प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एवं उड़ान योजना सहित महिला एवं बालिका कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए इनका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में ग्राम साथिन निर्मला सालवी भी उपस्थित रहीं। शिविर में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी समस्याएं साझा कीं तथा महिला सुरक्षा एवं कानूनी अधिकारों से संबंधित आवश्यक परामर्श प्राप्त किया।

बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला: चार दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

शिमला। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत, शिमला ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के तीन मामलों में चार निजी व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर कुल 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई के अनुसार दोषी ठहराए गए आरोपियों में बचिन्तर सिंह, रोशन लाल, हरकिरत सिंह और शम्मी शामिल हैं। इन सभी को 6 जुलाई 2026 को दोषी करार दिया गया था, जबकि 14 जुलाई 2026 को अदालत ने सजा सुनाई। मामले में सीबीआई ने वर्ष 2013 में



तत्कालीन एसबीआई शाखा प्रबंधकों, फील्ड अधिकारी, बैंक अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। जांच में आरोप सामने आए कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित एसबीआई देहरा

शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए तथा बाद में ऋण राशि का भुगतान नहीं कर बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने बैंक अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध 20 अलग-अलग आरोपपत्र विशेष सीबीआई न्यायालय, शिमला में तथा निजी व्यक्तियों के विरुद्ध 19 अन्य आरोपपत्र विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिमला की अदालत में दाखिल किए थे। सुनवाई के बाद अदालत ने चार निजी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

17 जुलाई को जयपुर में विशाल रोजगार सहायता शिविर, निजी क्षेत्र में मिलेगा रोजगार का अवसर

जयपुर @ पदमावत मीडिया। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 17 जुलाई को प्रातः 10 बजे श्री प्रताप स्टेडियम (वित्रकूट स्टेडियम) में एक दिवसीय विशाल रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह

राठौड़ करेंगे। शिविर में निर्माण, लॉजिस्टिक्स, होटल, बैंकिंग, मेडिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मा, सुरक्षा, ई-कॉमर्स, कॉल सेंटर और बीमा सहित विभिन्न क्षेत्रों की निजी कंपनियों मौके पर ही युवाओं का प्राथमिक चयन करेंगी। साथ ही विभिन्न सरकारी विभाग भी अपनी

योजनाओं की जानकारी देंगे। संयुक्त निदेशक नवरेखा ने बताया कि 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, आईटीआई, डिप्लोमा, नर्सिंग और पॉलिटेक्निक सहित विभिन्न योग्यताओं वाले अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ शिविर में भाग लेकर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

जयपुर शहर में अवैध गैस भण्डारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाई

66 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 4 बांसुरियां एवं एक रेगुलेटर जब्त, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर की कार्यवाई

पदमावत मीडिया
padmavatmedia@gmail.com

जयपुर। राज्य सरकार एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के अवैध भण्डारण, कालाबाजारी तथा अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए जयपुर शहर में जिला प्रशासन द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिला कलक्टर संदेश नायक के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के नेतृत्व में गठित सतर्कता दल ने विभिन्न स्थानों पर कार्यवाई करते हुए बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर एवं अन्य सामग्री जप्त की। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि सतर्कता दल ने पुलिस थाना खोनागोरियान के साथ संयुक्त कार्यवाई करते हुए देविका नगर, बंध्या रोड क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग की पुष्टि होने पर 45 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर तथा 4 बांसुरियां जप्त



कीं। वहीं देविका नगर बर्दिया रोड़ पर ऑटो रिक्शा के माध्यम से गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी एवं अवैध परिवहन की पुष्टि होने पर मौके से 12 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। इस प्रकरण में सिलपत व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की गई। इसी क्रम में सतर्कता दल ने जोधपुर मिष्ठान भण्डार, झारखंड मोड़, खातीपुरा क्षेत्र में कार्यवाई करते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की पुष्टि होने पर 9 घरेलू गैस सिलेंडर तथा एक रेगुलेटर सहित रबर पाइप जप्त किया। उन्होंने बताया कि संयुक्त कार्यवाई के दौरान कुल 66 घरेलू

एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 4 बांसुरियां तथा एक रेगुलेटर सहित रबर पाइप जब्त किए गए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाई की जा रही है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जयपुर शहर में अवैध रिफिलिंग, गैस भण्डारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा संचालित रॉपरेशन प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी है। ऐसे मामलों में सिलपत व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग, भण्डारण, कालाबाजारी अथवा संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्यवाई कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

